आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

28/1/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-36/2024-2025

बसंती कच्छप,.....आवेदिका

बनाम्

बसंती देवी, वगै० .....विपक्षीगण

आदेश

आवेदिका बसंती कच्छप, पति–स्व० विनीत बेलस कच्छप, निवास ग्राम–लोवाडीह, थाना–नामकुम, जिला–राँची द्वारा जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदिका ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन विपक्षीगण (1) बसंती देवी, पिता–विमल चन्द्र चौधरी, (2) विभा देवी, पिता–सुरेश प्रसाद साहु, निवास ग्राम–लोवाडीह, थाना–नामकुम, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
लोवाडीह	213	100	140	08 $\frac{1}{2}$ कट्ठा

आवेदिका ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि विवादित जमीन सनातन खलखो की खरीदगी है। आवेदिका अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जमीन पर कब्जा कर, आवेदिका को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण–पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

आवेदिका की ओर से वर्णित भूमि की खतियान की छायाप्रति दाखिल किया गया। इस खतियान में मोसमात शुमी कुंवर जौजे विश्वनाथ सिंह का नाम दर्ज है।

आवेदिका ने अपने शपथ–पत्र में कहा है कि खरीदगी जमीन में सनातन

28/1/25

कृ०पृ०उल्टे

28/1/25

खलखो का नाम दर्ज है। जिसका बुक–01, वाल्युम–28, पेज नं०–263 से 256, पट्टा सं०–281 वर्ष 1939 है। सनातन खलखो अपने पीछे सरोला खलखो, वो राहिल खलखो, को छोड़ गये। राहिल खलखो अपने पीछे सुनील कच्छप (नावल्द), अमूल कच्छप (नावल्द), विनीत बेलस कच्छप, को छोड़ गये। विनीत बेलस कच्छप अपने पीछे पत्नी बसंती कच्छप (आवेदिका) को छोड़ गये। आवेदिका का कहना है कि विपक्षी मेरे जमीन को जबरन छल–प्रपंच कर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लघंन कर दखल–कब्जा कर लिए है।

विपक्षीगण के द्वारा दाखिल अपने कारणपृच्छा में कहते है कि यह वाद पोषणीय नहीं है एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 "A" के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है, क्योंकि वर्णित भूमि कृषि योग्य नहीं है। इसके अलावा वर्णित भूमि पर पूर्व में एक SAR वाद चल चुका है, जिसका SAR वाद सं०–14/2013–14 है। यह वाद निलिमा कच्छप वगैरह बनाम मणिलाल साहु वगै० है। नीलिमा कच्छप आवेदिका के पति विनित बेलस कच्छप की बहन है। इसमें आवेदकगण के वाद को खारिज किया गया है। वर्णित भूमि पर पुनः SAR वाद लाया गया है, अतः यह वाद Res-judicata के अन्तर्गत है। चूँकि सनातन खलखो ने वर्णित भूमि को रजिस्टर्ड पट्टा खरीदे है जिसका बुक सं०–1 वाल्युम सं०–28, पेज सं०–263–266 है, डीड सं०–2181 वर्ष 1939 ई० है, जो आवेदिका के दादा ससुर है। विपक्षीगण बंसती देवी के पूर्वज ने वर्ष 1942 विक्रय विलेख के आधार पर खाता सं०–100, के अंतर्गत प्लॉट सं०–140 में 6.5 कट्ठा जमीन को खरीदा और विभा देवी के पूर्वज ने भी इसी प्लॉट में 07 कट्ठा जमीन को 1942 ई० में विक्रय विलेख के आधार पर खरीदी हैं। जिसके पश्चात् वे दखल–कब्जा के साथ घर–मकान बनाकर रह रही हैं, इसलिए यह वाद खारिज करने योग्य है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, जिसमें कहते हैं कि आवेदिका ने अपने आवेदन में भूमि की चौहद्दी नहीं दिये हैं, तथा इससे पूर्व वर्णित भूमि पर एक SAR वाद भी चल चुका है, जिसका SAR वाद सं०–14/2013–14 है। यह वाद निलिमा कच्छप वगैरह बनाम मणिलाल साहु वगै० है। इसमें आवेदकगण के वाद को खारिज किया जा चुका है। इसलिए यह

M:J 28/1/25

कृ०पृ०उल्टे

28/1/25

वाद पोषणीय नहीं है, तथा यह वाद Res-judicata के अन्तर्गत है। सनातन खलखो आवेदिका बसंती कच्छप के दादा ससुर है, जिन्होंने 1939 ई० में निबंधित पट्टा से जमीन खरीदा है, इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में विपक्षीगण की ओर से विभिन्न न्यायालयों के Case का हवाला पेश किये हैं, जो इस प्रकार है।

"[2010 (3) J C R 151 (Jhr)] **Hon'ble Jharkhand High Court**, W.P. (C) No. 4225 of 2002 **Chanku Oraon** Versus **State of Bihar**"

"1990 (1) BLJ 124, **(RANCHI BENCH)** Letter Patent, Appeal No. 47 of 1988 (R) **Ram Chandra Sahu** alias **Ram Prasad Sahu** alias **Kolha Sahu** Versus **State of Bihar and others**"

"1990 (1) BLJ 133, Civil Revision No. 42 of 1986, **Rabindra Nath Mishra and others** Versus **Jainath Singh**"

[1987 BLT (Rep.) 452 (Pat) (RB)] C.W.J.C. No. 716 of 1980 (R), **(Hon'ble Patna High Court) (RANCHI BENCH) Murlidhar Gupta and others** Versus **State of Bihar and others.**

अतः दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस सुनने, कारणपृच्छा देखने तथा कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वर्णित जमीन आवेदिका के दादा ससुर की खरीदगी जमीन है, न कि रैयती जमीन है। इस वाद से संबंधित एक SAR वाद सं०–14/2013–14 चला, जो खारिज हो चुका है। अतः यह वाद Res-judicata के अन्तर्गत है। जिस कारण आवेदिका के आवेदन को खारिज कर इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/1/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

28/1/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.03.07 16:45:29 +05:30
Location: 192.168.123.39